राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं राज्य
पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र संख्याः 44/2026 /3128

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०
सिग्नेचर बिल्डिंग शहीद पथ, गोमती नगर
विस्तार, लखनऊ 226002
फोन नं.:0522-2724003/2390240, फैक्स
नं.:0522-2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई-मेल: police.up@nic.in
वेबसाईट: https://uppolice.gov.in
दिनांकः सितम्बर 9०, 2026

विषयः iGOT पोर्टल हेतु प्रशिक्षण कोर्स तैयार किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/ महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी, National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB), का आरम्भ एक ऐसी सिविल सेवा विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है, जो अपने कार्य में दक्ष हो और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो। iGOT (Integrated Government Online Training) पोर्टल इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह पोर्टल Any Time, Any Where, Self-paced Learning के आधार पर दक्षता वृद्धि और दक्षता निर्माण हेतु अत्याधुनिक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा बहुत उपयोग किया जा रहा है। iGOT पोर्टल पर सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देश के शीर्ष विभागों में उत्तर प्रदेश पुलिस का स्थान आता है। iGOT पोर्टल पर उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रदर्शन का पर्यवेक्षण करने वाली उच्चस्तरीय Capacity Building Unit (CBU) द्वारा जो Capacity Building Plan (CBP) निर्मित किया गया है, उसका महत्वपूर्ण बिंदु है: Role Based Course Development. इसका तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में किसी पद के उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने हेतु किसी कार्मिक को किस-किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है, उस आधार पर प्रशिक्षण कोर्स विकसित किये जायें। प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा इसी प्रकार से प्रशिक्षण कोर्स विकसित करके iGOT पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं, किन्तु समस्त पुलिसबल की दक्षता वृद्धि और दक्षता निर्माण हेतु यह आवश्यक है कि प्रासंगिक तथा उपयोगी प्रशिक्षण कोर्स विकसित करने में सभी फील्ड संरचनाओं (जनपद, कमिश्नरेट, परिक्षेत्र व जोन) और राज्यस्तरीय विशेषज्ञ इकाइयों/मुख्यालयों/निदेशालयों का भी योगदान हो। अतः इस उद्देश्य से निम्नलिखित दिशा-निर्देश अनुपालनार्थ निर्गत किये जा रहे हैं:

1. प्रशिक्षण निदेशालय iGOT पोर्टल के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की नोडल एजेंसी है। प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा ही iGOT पोर्टल हेतु कोर्स निर्माण का पर्यवेक्षण किया जाएगा।

2. जो भी फील्ड संरचना (जनपद, कमिश्नरेट, परिक्षेत्र व जोन) या राज्यस्तरीय इकाई/मुख्यालय/निदेशालय कोई प्रासंगिक तथा उपयोगी प्रशिक्षण कोर्स विकसित करना चाहता है, वो सर्वप्रथम अपने प्रभारी अधिकारी के माध्यम से इस आशय का एक पत्र प्रशिक्षण निदेशालय को प्रेषित करेंगे। इस पत्र में प्रस्तावित प्रशिक्षण कोर्स का विषय और उसके संक्षिप्त विवरण के साथ ही उस कोर्स की उपयोगिता किस पद के कर्त्तव्य निर्वहन हेतु है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।
3. प्रशिक्षण कोर्स का निर्माण प्रारंभ करने हेतु प्रशिक्षण निदेशालय का लिखित अनुमोदन आवश्यक होगा।
4. प्रशिक्षण कोर्स की अवधि 20 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। 60 मिनट से अधिक अवधि के प्रशिक्षण कोर्स बनाने से बचा जाए।
5. प्रशिक्षण कोर्स निर्माता द्वारा सर्वप्रथम विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण कोर्स को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (PPT) प्रस्तुतीकरण के रूप में तैयार करवाकर उसकी गुणवत्ता एवं गहनता की समीक्षा की जाएगी।
6. कोर्स की भाषा हिंदी होगी। पर यह ध्यान रखा जाए कि अनावश्यक रूप से क्लिष्ट हिन्दी में अनुवाद करके अप्रचलित और दुर्बोध शब्दों का प्रयोग न किया जाए। उदाहरण के लिए Computer को कम्प्यूटर लिखा जाए न कि संगणक।
7. अंग्रेजी में प्रचलित व सुबोध शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ हिन्दी शब्द के आगे ब्रैकेट में अंग्रेजी का सुसंगत शब्द भी लिख दिया जाए। उदाहरण के लिए प्रतिभूति के आगे ब्रैकेट में (Surety) लिखा जा सकता है।
8. यथावश्यक और सुसंगत फ़ोटो/वीडियो आदि का भी प्रयोग प्रस्तुतीकरण में किया जा सकता है।
9. विषय विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करेंगे कि कोर्स में कोई तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि न हो।
10. PPT बन जाने के उपरांत प्रत्येक स्लाइड को समझाने हेतु क्या बोला जाना है, उसका Narration भी लिखा जाए। यह विशेष ध्यान रखा जाए कि Narration को वास्तव में बोलकर उसकी सहजता, प्रवाह और अवधि की समीक्षा की जाए।
11. प्रत्येक प्रशिक्षण कोर्स के अन्त में मूल्यांकन हेतु कम से कम 10 बहुविकल्पीय प्रश्न अवश्य समाहित किये जाएं।
12. PPT प्रेजेंटेशन और Narration को प्रशिक्षण कोर्स निर्माता फील्ड संरचना (जनपद, कमिश्नरेट, परिक्षेत्र व जोन) या राज्यस्तरीय इकाइयों/मुख्यालयों/निदेशालयों के प्रभारी अधिकारी स्वयं अपने निकट पर्यवेक्षण में तैयार करवाएंगे और जब वे स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे, तभी उसको प्रशिक्षण निदेशालय भेजेंगे। आधा-अधूरा या खराब गुणवत्ता का कोर्स नहीं भेजेंगे।

13. प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण कोर्स प्रेषक व उनकी टीम के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक करके यथावश्यक संशोधन सुनिश्चित करवाये जाएंगे।

14. संशोधित PPT प्रस्तुतीकरण और Narration के आधार पर प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा iGOT पोर्टल हेतु प्रशिक्षण कोर्स की वीडियो अच्छी क्रिएटिव एजेंसी के द्वारा तैयार करवाई जाएगी।

15. प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा तैयार वीडियो को समीक्षा हेतु प्रशिक्षण कोर्स प्रेषक को भेज दिया जाएगा। प्रशिक्षण कोर्स प्रेषक अपनी टीम व विषय विशेषज्ञों के साथ बैठकर वीडियो की बहुत ही सूक्ष्मता से समीक्षा करेंगे और वीडियो में जहाँ पर भी संशोधन की आवश्यकता है, उस बिन्दु के समय का उल्लेख करते हुए वांछित संशोधनों की आख्या बिन्दुवार तैयार करके प्रशिक्षण निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

16. संशोधित वीडियो पुनः प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

17. जब प्रशिक्षण कोर्स प्रेषक द्वारा वीडियो को अनुमोदित कर दिया जाएगा, तब वीडियो iGOT पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी। इस संबंध में प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

18. प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा iGOT पोर्टल पर (1) मृत्यु पूर्व कथन (2) जमानत (3) रिमाण्ड, आदि विषयों पर जो प्रशिक्षण कोर्स अपलोड किये गये हैं, प्रशिक्षण कोर्स Content तैयार करने के लिए उनको देखकर मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

19. उपरोक्त दिशा-निर्देशों के विषय में कोई संशय हो, तो प्रशिक्षण निदेशालय से संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालाध्यक्ष, पुलिस विभाग उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0।
3. समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त कार्यालाध्यक्ष अजनपदीय शाखा पुलिस विभाग,उ0प्र0।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
7. समस्त MDOs (iGOT पोर्टल) पुलिस विभाग, उ0प्र0।